राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःपं025(01) / चि.स्वा. / 2 / 2018 जयपुर, दिनांकः 23 MAR 2020

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।

विषयः–कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार में लगे चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार में लगे प्रत्येक चिकित्सक को पूरी अवधि के लिये रू 5000.00 एवं प्रत्येक नर्सिंगकर्मी, एएनएम, एलएचवी, टेक्नीशियन, वाहन चालक, वार्ड ब्वॉय एवं सफाईकर्मी को रू 2500.00 एकबारीय प्रोत्साहन राशि दिये जाने कीएतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि रू0 2500.00 लाख का प्रावधान निम्नानुसार पुनर्विनियोजन कर राशि आईएफएमएस पर अपलोड कर दी गई है :–

(राशि रू. लाखों में)

बजट मद जिससे पुनर्विनियोजन किया जाना है			बजट मद जिसमें पुनर्विनियोजन किया जाना है		
मांग सं.	बजट मद (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	राशि	मांग सं.	बजट मद (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	राशि
26	2210-01-110-(03)-[08]-01	2500.00	26	2210-01-110-(03)-[08]-08	2500.00
	योग	**2500.00**		**योग**	**2500.00**

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती हैः–

1. उक्त के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग के द्वारा जारी किये जावेगे।
2. राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ ही किया जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 102001712 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

Sd

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक,मा0 मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक,मा0 राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. प्रधान महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा),राज0 जयपुर।
6. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।
9. एकल पत्रावली
10. रक्षित पत्रावली।

23/3/20

(नवल बिहारी ढलवाल)
शासन सहायक सचिव